

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

रजि० ऑफिस द्वितीय तल, पुराना महिला हॉस्टल, नेहरू पैलेस के पीछे, लाल कोठी, टोक रोड, जयपुर-302015

फोन नं. 0141-2744562, 2744776; फेक्स नं. 0141-2744562,

Website:- transport.rajasthan.gov.in/jctsl; Email:- jctsl.bus@gmail.com



क्रमांक: प्र.नि./ वित्त/जे.सी.टी.एस.एल./2020-21/डी- 3677

दिनांक:- 29 -09-2020

-: कार्यालय आदेश :-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3532 दिनांक 22.09.2020 द्वारा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित बसों के यात्री किराये में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को जेसीटीएसएल द्वारा संचालित समस्त श्रेणी की नगरीय एवं उपनगरीय मार्गों की बसों में यात्रा करने पर यात्री किराये में 30 प्रतिशत रियायत देते हुए निम्नानुसार रु 5.00 के गुणक में किराया राशि निर्धारित की जाती है -

महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु रियायत के पश्चात् किराया

क्र.सं.	नॉन-एसी		एसी	
	दूरी (किमी.)	किराया (रु.)	दूरी (किमी.)	किराया (रु.)
1	0-6	10	0-6	15
2	6-12	15	6-15	20
3	12-20	20	15-17	25
4	20-24	25	17-24	30
5	24-35	30	24-26	35
6	35-45	35	26-30	40
7	45-55	40	30-33	45
8	Above 55	45	Above 33	50

उक्त संशोधित किराया आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है, जो दिनांक 30.09.20 से प्रभावी होगा।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
RAS

विशेषाधिकारी

जेसीटीएसएल, जयपुर

क्रमांक: प्र.नि./वित्त/जे.सी.टी.एस.एल./2020-21/डी- 3678-3688

दिनांक:- 29 -09-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, जेसीटीएसएल, जयपुर।
4. मुख्य वित्तीय अधिकारी, जेसीटीएसएल, जयपुर।
5. जोनल मैनेजर, जेसीटीएसएल, जयपुर।
6. मुख्य प्रबन्धक, जेसीटीएसएल, सांगानेर/टोडी/विद्याधर नगर ब आगार, जयपुर।
7. मैसर्स Omnificent Technologies Pvt. Limited, सांगानेर/टोडी/विद्याधर नगर ब आगार, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य वित्तीय अधिकारी
जेसीटीएसएल, जयपुर